न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 50/2019

रामचन्द्र पुत्र बिरदू जाति गुर्जर निवासी छींड तन मैड पंचायत पुरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील प्रकरण संख्या 35/2019 निर्णय दिनांक 27/8/2019 नायब तहसीलदार विराटनगर अन्तर्गत धारा 91 काश्तकारी अधिनियम 1956 से पिडित होने पर

निर्णय **दिनांक** 26.11.19

अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत् पारित निर्णय दिनांक 27/8/2019 से व्यथित होने पर पारित आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है, जिसके सारगर्भित तथ्य निम्नभांति प्रेषित हैं :-

1. अपीलारर्थी वाके ग्राम छींड तहसील विराटनगर का रहने वाला है। अनपढ और बुजुर्ग व्यक्ति है, जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। अप्रीलार्थी का आराजी ख.नं. 614/0.03 वाके ग्राम छींड गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण मानकर नायब तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 27/8/2019 को 3 माह के सिविल कारावास एवं छः रूपये के अर्द्व दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये है, जबकि अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उक्त आराजी ख.नं. 614/0.03 में कोई भी जोत लगाकर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी के खाते से एक ओर रास्ता अपीलार्थी ने दे रखा है। अपीलार्थी का उपरोक्त रास्ते पर कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश की है वह सही रूप से पेश नहीं की है। यदि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से कब्जा है तो उसे रास्ते को खाली कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल दिनांक 9/9/2019 को मिलने से उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से सुनने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय आदेश 27/8/2019 को निरस्त फरमाया जावें।
2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडन्ट की तल्बी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये । रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर उपस्थित आये।
3. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम छींड की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी को दिनांक 26/11/2019 को पेश की गयी, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।
4. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम छींड की भूमि ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते में अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ब उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र मु.नं. 35/2019 में निर्णय आदेश दिनांक 27/8/2019 पारित कर अपीलान्ट/गैर सायला के विरूद्व बेदखली एवं लगान का पचास गुना पैलेन्टी आरोपित करते हुए तीन माह

Scanned with CamScanner

का सिविल कारावास का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त आराजी पर कोई जोत लगाकर अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली हल्का ने जो अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट देकर की है। वह सही रूप से पेश नहीं की है। बल्कि अपीलान्ट के खाते से एक और रास्ता अपीलार्थी ने दे रखा है। अपीलार्थी का उपरोक्त रास्ते पर कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमावें।

5. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर ने अपनी बहस में कथन किया कि गैर सायल/अपीलान्ट आ.ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते पर मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट से अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मु.नं. 35/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में दिनांक 27/8/2019 को निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15/10/2019 को अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होना जाहिर करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। गैर सायल द्वारा उक्त आराजी ख. नं. 614 मौके से अतिक्रमण हटा लिया है तथा कोई अतिक्रमण नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण था । इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमावें।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों तथा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, अवलोकन करने एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम छींड के आराजी ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते पर मुताबिक पटवारी हल्का की रिपार्ट से अतिक्रमण व कब्जा करना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मु.नं. 35/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय आदेश 27/8/2019 के तहत् अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व बेदखली लगान का पचास गुना पैलन्टी तथा तीन माह का सिविल कारावास के आदेश पारित होना पाया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि पटवारी हल्का ने धारा 91 के तहत् अपीलन्ट के विरूद्व अतिक्रमण बाबत जो रिपोर्ट पेश की है वह सही रूप से पेश नहीं की है। उक्त गै.मु. रास्ते पर कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं होना जाहिर करने पर तहसीलदार विराटनगर से रिपोर्ट ली गयी, नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 4/11/2019 के द्वारा अपीलान्अ द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 614 वाके ग्राम छींड से अतिक्रमण हटा लिया है तथा कोई अतिक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट पेश की इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा पूर्व में उक्त आराजी गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण व कब्जा किया था जिसको वर्तमान में हटा लिया गया है। चूँकि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 614 गै.मु. रास्ते पर से अतिकमण हटा लिया है। मौके पर कोई अतिकमण नहीं है। इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीन माह में सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त करने एवं इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के समस्त आदेशों को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

7. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 35/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय आदेश 27/8/2019 में अपीलान्ट/गैर सायल के द्वारा आराजी ख.नं. 614/0.03 किस्म गै.मु. रास्ते पर किये गये अतिक्रमण बाबत बेदखली व लगान के पचास गुना पैलन्टी आरोपित की गयी है उसे यथावत रखी जाती है तथा अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा उक्त आराजी से अतिकमण हटाने के उपरान्त वर्तमान में अपीलान्ट/गैर सालय को कोई अतिकमण नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को नरमी का रूख अपनाया जाकर अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार विराटनगर को तदनुसार निर्णय की पालना करने हेतु निर्णय की प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner